संख्या- 1730बी/क0नि0-6-2017-20(बी)-15/2017

प्रेषक,

राजेंद्र सिंह मौर्य,

उप सचिव,

उ० प्र० शाशन

सेवा में,

आयुक्त एवं निबंधक

सहकारिता उ0प्र0 लखनऊ।

संस्थागत वित्त कर एवं निबंधन अनु0-6 लखनऊ दिनांक-20 नवम्बर, 2017

विषयः प्रदेश के लघु एवं सीमांत किसानों हेतु एनपीए समाधान योजनान्तर्गत पोर्टल पर फीडिंग की समय सीमा बढ़ाये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक- 231/अधि0/2017-18/ लखनऊ, दिनांक 15 नवम्बर, 2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा पोर्टल पर डाटा फीडिंग हेतु निर्धारित तिथि 15 नवम्बर, 2017 को आगे बढ़ाये जाने की अपेक्षा की गयी है।

2.इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मामले में सम्यक विचारोपरान्त एनपीए समाधान योजनान्तर्गत पोर्टल पर डाटा फीडिंग हेतु निर्धारित अवधि 15 नवम्बर, 2017 से अतिरिक्त समय बढ़ाये जाने का औचित्य नहीं पाया गया है। तदनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(राजेन्द्र सिंह मौर्य)

उप सचिव।

संख्या- 1730बी (1)/क0नि0-6-2017 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. अपर मुख्य सचिव, संस्थागत वित्त/सहकारिता/आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स, उत्तर प्रदेश शासन।
3. प्रमुख सचिव, वित्त/कृषि/राजस्व/सूचना, उ0प्र0 शासन।
4. विशेष सचिव, मुख्यमंत्री उ0प्र0 शासन।
5. स्टाफ आफीसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
6. विशेष सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन (श्री नील रतन)।
7. महानिदेशक, संस्थागत वित्त महानिदेशालय, उत्तर प्रदेश।
8. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, एनआईसी, उत्तर प्रदेश।
9. संयोजक राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति उत्तर प्रदेश।
10. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(राजेन्द्र सिंह मौर्य)

उप सचिव।